न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 10 / 2022

1 इन्द्रसिंह पुत्र स्व. चतरसिंह उम्र साल जाति राजपूत निवासी जालू तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट्स

बनाम

1 गणपति मृत
1/1 झबरसिंह पुत्र श्रीमती गणपति पत्नी स्व. लालसिंह
1/2 शैलेन्द्र सिंह पुत्र मंगेजसिंह
1/3 नगेन्द्र सिंह पुत्र मंगेज सिंह
1/4 विक्रम सिंह पुत्र गिरवर सिंह
1/5 इन्द्र सिंह पुत्र गिरवर सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
1/6 सुप्यार कंवर पुत्री गणपति हाल पत्नी ईश्वर सिंह
1/7 गसंत कंवर पुत्री गणपति हाल पत्नी हनुमानसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम छाबड़ी खारी तहसील रतनगढ़ जिला चुरू।
2 श्रीमती सदा कंवर पत्नी स्व. भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी जालू तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
3 श्रीमती शोभावती पुत्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी जालू तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर पत्नी सम्पत सिंह निवासी नोखड़ा तहसील बीकानेर राज.।
4 दामोदर सिंह पुत्र बालुसिंह जाति राजपूत निवासी नेछवा सम्प्रति गोडोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
5 पूर्णसिंह मृत
5/1 किशोर सिंह पुत्र स्व. पूर्णसिंह
5/2 जगदीश सिंह पुत्र स्व. पूर्णसिंह
5/3 प्रभूसिंह पुत्र स्व. पूर्णसिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जाति राजपूत निवासी नेछवा सम्प्रति
गाडोदा तहसील

5/4 मंजू पुत्री पूर्णसिंह
5/5 मुन्नी पुत्री स्व. पूर्णसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण नेछवा सम्प्रति गाडोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6 सत्यनारायण सिंह पुत्र बालुसिंह जाति राजपूत निवासी नेछवा सम्प्रति गोड़ादा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
7 श्रीमती भंवरी मृत
7/1 किशोर सिंह
7/2 जगदीश सिंह
7/3 प्रभूसिंह पुत्रगण भंवरी देवी पत्नी भगवानसिंह जाति राजपूत निवासीगण खानपुर तहसील लाडनू जिला नागौर राज.।
8 श्रीमती मदनी पुत्री बालसिंह पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी लेड़ी तहसील लाड़नू जिला नागौर।
9 मंगल सिंह पुत्र स्व. चतरसिंह उम्र साल जाति राजपूत निवासी जालू तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज. पीठासीन अधिकारी डॉ. कुलराज मीणा आरएएस वाद संख्या 181/2013 उनवानी मंगलसिंह आदि बनाम गणपति आदि दिनांकित 06.01.2022

उपस्थिति :
1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामकरण जोशी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 7/11/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 181/2013 में पारित निर्णय दिनांक 06.01.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण मंगलसिंह व इन्द्रसिंह ने एक वाद उद्घोषणा व शास्वत व्यादेश एवं संशोधनार्थ राजस्व रिकार्ड बाबत भूमि खसरा नम्बर 15/1 वाके ग्राम जालू तहसील लक्ष्मणगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय वाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के पूर्वज दामोदर सिंह की ओर से जो प्रार्थना पत्र अ. आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था उसमें वर्णित एक भी तथ्य आदेश 07 नियम 11 जा.दी. में वर्णित प्रावधानों में से किसी भी प्रावधान के अनुरूप नहीं थे। अपीलाधीन वाद एक राजस्व प्रकृति का मामला है जिसमें अपीलाधीन वाद के वादीगण द्वारा वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमियों के बाबत खातेदारी उद्घोषणा जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की तृतीय सुचि में सूचीबद्ध अनुतोष है के मुख्य अनुतोष के निमित विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। खातेदारी अधिकारों के मुकाबले विक्रय पत्र दिनांक 06.07.1969 को अवैध उद्घोषित किये जाने का सहायक अनुतोष चाहा गया है जो स्वमेव ही प्रदत्त किये जाने योग्य है। विक्रय पत्र के बारे में जानकारी वाद दायरी के कुछ समय पूर्व होने के तथ्य वाद पत्र तथा जवाब प्रार्थना पत्र अ. आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. में स्पष्ट रूप से होने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा मनमाने रूप से उक्त तथ्य अंकित नहीं किये जाने का उल्लेख करते हुए अवैध रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो कतई स्थिर रहने योग्य नहीं है। कानूनन आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र का निस्तारण वाद पत्र में अंकित अभिवचनों की परिधि में किया गया है। वाद पत्र में दर्ज अभिवचनों के अनुसार वाद पत्र कतई अवधि बाधित नहीं है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर विचारण न्यायालय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 06.01.2022 निरस्त फरमायी जाकर दावा विचारण न्यायालय को वाद में अपनायी जाने वाली प्रकियात्मक विधि की पालना करते हुए गुणावगुण पर निर्णित किये जाने निमित प्रति प्रेषित किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि वादीगण जिनके द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है उक्त वादीगण वादपत्र में वर्णित विवादित काश्त भूमि खसरा नम्बर 15/1 ग्राम जालु के न तो खातेदार है न काश्तकार है और न ही उपकाश्तकार है। कानूनी रूप से किसी खातेदार को या किसी काश्तकार को वाद प्रस्तुती का विधिक अधिकार होता है प्रस्तुत प्रकरण में इस प्रकार की कोई स्थिति प्रकट नहीं होती यहां तक की वादीगण के द्वारा विक्रय–पत्र का पंजीयन भी नहीं करवाया गया है। इस प्रकार वादीगण को वाद प्रस्तुती का किसी भी अनुरूप अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण के हक में जो विक्रय पत्र हुआ है वह विक्रय पत्र दिनांक 06.02.1969 को उपपंजीयक कार्यालय, लक्ष्मणगढ़ में प्रस्तुत होकर दिनांक 10.02.1969 को पंजीबद्ध हुआ है तथा वादीगण के द्वारा अपना वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष सन 1985 में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार उद्घोषणा के वाद में कानूनी रूप से मियाद 3 साल की निर्धारित है तथा विभाजन के संबंध में वाद की मियाद 12 साल की है। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण को आपत्ति करने का और अथवा चुनौतीग्रस्त विक्रय पत्र के संबंध में आक्षेप प्रकट करने का अधिकार 12 साल से भी अधिक समय के उपरांत प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार वादीगण का आक्षेप भारतीय अवधि अधिनियम में वर्णित प्रावधानानुसार अवधि बाधित है। इस प्रकार वादीगण का वाद अवधि बाधित होने से विधि द्वारा पोषणीय नहीं है। वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार का वादकारण हासिल नहीं है विक्रय–पत्र कृषि भूमि के खातेदार के द्वारा करवाया गया है विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं है तो फिर वादीगण इस वाद–पत्र में वर्णित चुनौतीग्रस्त विक्रय पत्र से किस प्रकार प्रभावित है। वादीगण का वादकारण काल्पनिक है और

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

वादकारण के अभाव में वादीगण का वाद विधि द्वारा पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद 12 साल के अंतराल के बाद प्रस्तुत किया गया है, वाद के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद अवधि बाधित है, विधि के इस अनुसरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है, और निरस्त किया जाने योग्य है। वादीगण का वाद पत्र में वर्णित विवादित काश्त भूमि पर कोई कब्जा भी नहीं है, कब्जे के अभाव में भी वादीगण का वाद विधि द्वारा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में विधिक प्रावधानों का विस्तृत विवेचन कर वाद वादी आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2009(2) आरजे पेज 1399, आरएलडब्ल्यू 2010(1) आरजे एचसी पेज 270, आरएलडब्ल्यू 2015(1) आरजे एचसी पेज 189 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादीगण मंगलसिंह व इन्द्रसिंह ने एक वाद उद्घोषणा व शास्वत व्यादेश एवं संशोधनार्थ राजस्व रिकार्ड बाबत भूमि खसरा नम्बर 15/1 वाके ग्राम जालू तहसील लक्ष्मणगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय वाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में आवेदन 07 नियम 11 में प्रतिवादी की प्रमुख आपत्ति है कि वादीगण जिनके द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है उक्त वादीगण वादपत्र में वर्णित विवादित काश्त भूमि खसरा नम्बर 15/1 ग्राम जालु के न तो खातेदार है न काश्तकार है और न ही उपकाश्तकार है।

विधि अनुसार किसी खातेदार को या किसी काश्तकार को वाद प्रस्तुती का विधिक अधिकार होता है प्रस्तुत प्रकरण में इस प्रकार की कोई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

स्थिति प्रकट नहीं होती यहां तक की वादीगण के द्वारा विक्रय–पत्र का पंजीयन भी नहीं करवाया गया है। इस प्रकार वादीगण को वाद प्रस्तुती का किसी भी अनुरूप अधिकार नहीं है।

प्रतिवादीगण के हक में जो विक्रय पत्र हुआ है वह विक्रय पत्र दिनांक 06.02.1969 को उपपंजीयक कार्यालय, लक्ष्मणगढ़ में प्रस्तुत होकर दिनांक 10.02.1969 को पंजीबद्ध हुआ है तथा वादीगण के द्वारा अपना वाद पत्र न्यायालय के समक्ष सन 1985 में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार उद्घोषणा के वाद में कानूनी रूप से मियाद 3 साल की निर्धारित है तथा विभाजन के संबंध में वाद की मियाद 12 साल की है। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण को आपत्ति करने का और अथवा चुनौतीग्रस्त विक्रय पत्र के संबंध में आक्षेप प्रकट करने का अधिकार 12 साल से भी अधिक समय के उपरांत प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार वादीगण का आक्षेप भारतीय अवधि अधिनियम में वर्णित प्रावधानानुसार अवधि बाधित है। इस प्रकार वादीगण का वाद अवधि बाधित होने से विधि द्वारा पोषणीय नहीं है।

वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार का वादकारण हासिल नहीं है विक्रय–पत्र कृषि भूमि के खातेदार के द्वारा करवाया गया है विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं है तो फिर वादीगण इस वाद–पत्र में वर्णित चुनौतीग्रस्त विक्रय पत्र से किस प्रकार प्रभावित है। वादीगण का वादकारण काल्पनिक है और वादकारण के अभाव में वादीगण का वाद विधि द्वारा पोषणीय नहीं होने से विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद 12 साल के अंतराल के बाद प्रस्तुत किया गया है, वाद के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद अवधि बाधित है, विधि के इस अनुसरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है। वादीगण का वाद पत्र में वर्णित विवादित काश्त भूमि पर कोई कब्जा भी नहीं है, कब्जे के अभाव में भी वादीगण का वाद विधि द्वारा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाने योग्य है।

ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में विधिक प्रावधानों का विस्तृत विवेचन कर वाद वादी आदेश 07 नियम 11 के तहत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 7/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर